भारत सरकार

मानव संसाधन विकास मंत्रालय

उच्चतर शिक्षा विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या: 2291

उत्तर देने की तारीख: 08.07.2019

यूजीसी द्वारा संचालित योजना

2291. डॉ. सुकान्त मजूमदारः
श्री खगेन मुर्मुः
श्री राजा अमरेश्वर नाईकः

क्या मानव संसाध्न विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) विश्व विद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी)/सरकार द्वारा अवसंरचना, बुनियादी सुविधओं अनुसंधन परियोजनाओं आदि के विकास के लिए केन्द्रीय/राज्य विश्वविद्यालयों को निधियां प्रदान करने के लिए चलाई जा रही विभिन्न योजनाओं का ब्यौरा क्या है;
(ख) सरकार/यूजीसी द्वारा गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान इनकी विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत आवंटित/जारी की गई निधियों/अनुदानों का राज्य/संघ राज्यक्षेत्र-वार और योजना-वार ब्यौरा क्या है;
(ग) सरकार/यूजीसी द्वारा राज्यों में विश्वविद्यालयों और महाविद्यालयों को पर्याप्त निध्यिं प्रदान करने के लिए प्राप्त अनुरोधें/प्रस्तावों की राज्य-वार संख्या कितनी है; और
(घ) सरकार द्वारा राज्यों में उच्च शिक्षा की गुणवत्ता में सुधर के लिए क्या कदम उठाए गए हो/उठाए जा रहे हो?

उत्तर

मानव संसाधन विकास मंत्री

(श्री रमेश पोखरियाल 'निशंक')

(क) : जैसा विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) द्वारा सूचित किया गया है, यूजीसी/सरकार द्वारा केंद्रीय/राज्य विश्वविद्यालयों और समवत विश्वविद्यालयों को अवसंरचना, मूलभूत सुविधाओं अनुसंधान परियोजना आदि के विकास के लिए निधियां प्रदान करने हेतु संचालित की जा रही योजनाओं का ब्यौरा https://www.ugc.ac.in/pdfnews/0923198_Annexure-1-LSPQ-No-2291-F_CU_.pdf पर उपलब्ध है।

केंद्रीय प्रायोजित योजना राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान (रूसा) के तहत राज्य विश्ववविद्यालयों को भी सहायता दी जाती है। रूसा, राज्य विश्वविद्यालयों को तीन घटकों विश्वविद्यालयों को अवसंरचना अनुदान, चयनित राज्य विश्वविद्यालयों में गुणवत्ता और उत्कृष्टता में वृद्धि और अनुसंधान, नवाचार और गुणवत्ता सुधार के तहत प्रदान सहायता करता है।

(ख) : यूजीसी द्वारा राज्यों/संघ राज्यक्षेत्रों को विभिन्न योजनाओं के तहत पिछले तीन वर्षों के दौरान जारी निधियों का ब्यौरा निम्न लिंक पर उपलब्ध है-

https://www.ugc.ac.in/pdfnews/7878375_Annexure-II-LSPQ-No-2291-2015-16.pdf
https://www.ugc.ac.in/pdfnews/6115500_Annexure-III-LSPQ-No-2291-2016-17.pdf
https://www.ugc.ac.in/pdfnews/4212844_Annexure-IV-LSPQ-No-2291-2017-18.pdf

रूसा के तहत 142 विश्वविद्यालयों के लिए 2819.524 करोड़ रू. की धनराशि विश्वविद्यालयों के अवसंरचना अनुदान के तहत, चयनित राज्य विश्वविद्यालयों में गुणवत्ता और उत्कृष्टता बढ़ाने के तहत 10 विश्वविद्यालयों और शोध, नवाचार एवं गुणवत्ता सुधार के तहत 19 विश्वविद्यालयों को स्वीकृत की गई है। रूसा के तहत वर्ष 2016-17, 2017-18 और 2018-19 के दौरान क्रमश: 300.98 करोड़ रू;, 362.38 करोड़ रू. और 437.42 करोड़ रू. जारी किए गए हैं।

(ग) : यूजीसी ने सूचित किया है कि उसके क्षेत्राधिकार में आने वाली सभी केंद्रीय विश्वविद्यालयों के अनुदानों का प्रस्ताव और अनुदानों/निधियों का आवंटन इस उद्देश्य के लिए गठित समिति की अनुशंसा के आधार पर किया जाता है। रूसा के तहत राज्य विश्वविद्यालयों को दिए गए अनुदान का ब्यौरा संलग्नक-V में दिया गया है।

(घ) : रूसा का उद्देश्य निर्धारित मानकों और मानदंडों को सुनिश्चित कर राज्य संस्थाओं को समग्र गुणवत्ता सुधारने और योजना एवं निगरानी के लिए संस्थानिक अवसंरचना सृजन की सुविधाएं प्रदान करने की दिशा में कार्य करना है।

अच्छी शैक्षिक संस्थाओं को स्वायत्ता प्रदान करने और गुणवत्ता बढ़ाने के उद्देश्य से विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (ग्रेडेड स्वायत्ता देने हेतु विश्वविद्यालयों (केवल) का श्रेणीकरण) विनियम, 2018 और विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (स्वायत्त कॉलेजों में मानकों के अनुरक्षण हेतु उपाय तथा कॉलेजों को स्वायत्ता दर्जा प्रदान करना) विनियम, 2018 अधिसूचित किए हैं।

यूजीसी ने इसके अतिरिक्त अनेक पहलें जैसे छात्रों हेतु इंडेक्शन कार्यक्रम, पाठ्यचर्या फ्रेमवर्क आधारित अधिगम निष्कर्ष, मूक और ऑनलाइन डिग्री सहित प्रभावी शिक्षण अधिगम प्रक्रिया हेतु आईसीटी आधारित अधिगम टूल का उपयोग, छात्रों हेतु जीवन कौशल, प्रत्येक संस्था हेतु सामाजिक एवं उद्योग संपर्क, मूल्यांकन सुधार, छात्र कैरियर प्रोन्नति और पूर्व छात्र

नेटवर्क, फैकल्टी इंडक्शन कार्यक्रम (एफआईपी) शिक्षण में वार्षिक पुनश्चर्या कार्यक्रम (अर्पित) और शैक्षिक प्रशासकों हेतु नेतृत्व प्रशिक्षण (एलईएपी), भारत की विकासशील अर्थव्यवस्था हेतु ट्रांस-डिसिप्लीनरी योजना, कंर्सोटियम अकादमिक रिसर्च एथिक्स (केयर) और गैर-मान्यता प्राप्त संस्थाओं की मेंटरिंग (पीएआरएएमएआरएसएच) शामिल हैं।

यूजीसी द्वारा देश में गुणवत्ता अनुसंधान को प्रोत्साहित करने के लिए कई योजनाओं, अवार्ड, अध्येतावृत्ति, पीठ और कार्यक्रमों को भी सहायता प्रदान की जाती है।

*****

<u>संलग्नक-V</u>

'यूजीसी द्वारा संचालित योजना' के संबंध में माननीय संसद सदस्यों डॉ. सुकान्त मजूमदार, श्री खगेन मुर्मु और श्री राजा अमरेश्वर नाईक द्वारा दिनांक 08.07.2019 को लोक सभा में पूछे जाने वाले अतारांकित प्रश्न सं. 2291 के भाग (ग) के उत्तर में उल्लिखित संलग्नक।

राज्य	घटक का नाम	संस्था का नाम	जिला	पीएबी बैठक में अनुमोदित	कुल स्वीकृति रूसा 2.0 (रु. करोड़ में)	केंद्रीय अनुमोदित हिस्सेदारी (रु. करोड़)	राज्य की अनुमोदित हिस्सेदारी करोड़ में	संस्थान लिए जा कुल केंद्री निधि
आंध्र प्रदेश	चुनिंदा राज्य विश्वविद्यालयों में गुणवत्ता और उत्कृष्टता बढ़ाना	श्री वेंकटेश्वर विश्वविद्यालय, तिरुपति	चित्तूर	12 वीं पीएबी (25.05.2018)	100	60	40	[illegible]
आंध्र प्रदेश	चुनिंदा राज्य विश्वविद्यालयों में गुणवत्ता और उत्कृष्टता बढ़ाना	आंध्र विश्वविद्यालय	विशाखापत्तनम	12 वीं पीएबी (25.05.2018)	100	60	40	[illegible]
हरियाणा	चुनिंदा राज्य विश्वविद्यालयों में गुणवत्ता और उत्कृष्टता बढ़ाना	कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय	कुरुक्षेत्र	12 वीं पीएबी (25.05.2018)	100	60	40	[illegible]
जम्मू और कश्मीर	चुनिंदा राज्य विश्वविद्यालयों में गुणवत्ता और उत्कृष्टता बढ़ाना	जम्मू विश्वविद्यालय	जम्मू	12 वीं पीएबी (25.05.2018)	100	90	10	[illegible]
महाराष्ट्र	चुनिंदा राज्य विश्वविद्यालयों में गुणवत्ता और उत्कृष्टता बढ़ाना (नया)	सावित्रीभाई फुले विश्वविद्यालय, पुणे	पुणे	12 वीं पीएबी (25.05.2018)	100	60	40	
ओडिशा	राज्य विश्वविद्यालयों में गुणवत्ता और उत्कृष्टता	उत्कल विश्वविद्यालय, भुवनेश्वर	खुर्दा	12 वीं पीएबी (25.05.2018)	100	60	40	[illegible]
पंजाब	चुनिंदा राज्य विश्वविद्यालयों में गुणवत्ता और उत्कृष्टता बढ़ाना	गुरु नानक देव विश्वविद्यालय अमृतसर	अमृतसर	12 वीं पीएबी (25.05.2018)	100	60	40	[illegible]
तमिलनाडु	चुनिंदा राज्य विश्वविद्यालयों में गुणवत्ता और उत्कृष्टता बढ़ाना	अलगप्पा विश्वविद्यालय	शिवगंगा	12 वीं पीएबी (25.05.2018)	100	60	40	[illegible]
तेलंगाना	चुनिंदा राज्य विश्वविद्यालयों में गुणवत्ता और उत्कृष्टता बढ़ाना	उस्मानिया विश्वविद्यालय	हैदराबाद	12 वीं पीएबी (25.05.2018)	100	60	40	
पश्चिम बंगाल	चुनिंदा राज्य विश्वविद्यालयों में गुणवत्ता और उत्कृष्टता बढ़ाना	जादवपुर विश्वविद्यालय	दक्षिण 24 परगना	12 वीं पीएबी (25.05.2018)	100	60	40	[illegible]

****